कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 1365 /12-1 देहरादून, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
एफ0आई0यू0 (अनुरक्षण खण्ड), 130-प्रकाश विहार,
देहरादून।

249
30/10/2019

विषयः- जनपद देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पेरी अरबन) पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.372 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-987/(1)ग-4-19/2(52)/2019 दिनांक-10.10.2019 तथा आपका पत्रांक-252 /पेरी अरबन/2019-20 दिनांक-11.10.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में जो अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी देहरादून को सम्बोधीत तथा कार्यालय एवं आपको भी पृष्ठांकीत है का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयॉकित प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित 05 शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुए निम्न धनराशि लेखा संख्या-एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराने की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सैद्वान्तिक स्वीकृति के अनुसार निम्न शर्तो के अनुपालन में देय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः-

मद	क्षेत्रफल है0 में	घनत्व	ईको क्लास	दर/है0	धनराशि
रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वनीकरण एवं 10 वर्षो का रखरखाव	100 वृक्ष का रोपण	-	-	1210/वृक्ष	121000.00
एन0पी0वी0	0.372	0.2	V	657000.00	244404.00

शर्त संख्या-1 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव हेतु आवश्यक **धनराशि-121000.00** (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जायेगी।

शर्त संख्या-2 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यांयालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 ,05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि-**244404.00** जमा की जायेगी।

शर्त संख्या- 3 प्रयोक्ता अभिकरण **इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है** तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जामा की जाएगी

शर्त संख्या- 4 भारत सरकार की पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक-05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजा प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।

अतः उपरोक्तानुसार विन्दु संख्या-1,2,3 एवं 4 में उल्लिखित धनराशि भारत सरकार नई दिल्ली को उपलब्ध कराते हुए शर्त संख्या-3 के अनुसार एन0पी0वी0 की दरों में यदि भविष्य में सक्षम स्तर से यदि बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि को जमा करने हेतु प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः- /12-1 तद्दिनांकित।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान,
130 प्रकाश विहार, बाई पास रोड, देहरादून

SFIU-3 26

पत्रांक- 3218 /पैरी अरबन/2019-20 दिनांकः 4/11/19

प्रतिलिपिः

1. सहायक अभियन्ता (एफ.आई.यू.), उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश देहात को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(नमित रमोला)
अधिशासी अभियन्ता
(एफ.आई.यू.)

O/C 30/10/19

Scanned by CamScanner